# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—125/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/125)

1. हगामा पुत्र घासी जाति जाट निवासी सरसून्दा, तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. चौथू पुत्र कल्याण, जाति रेगर, निवासी फतहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

2. लादू पुत्र रामचंद्र(मृतक) जरिए वारिसान—
   2/1 पारसी पत्नी लादू
   2/2 रामसिंह पुत्र लादू
   2/3 हेमराज पुत्र लादू
   2/4 भूरी पुत्री लादू
   2/5 इन्द्रा पुत्री लादू
   2/6 कैमलेश पुत्री लादू
   2/7 ललिता पुत्री लादू
   सभी जाति जाट निवासी फतहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।
3. श्रीमती भगवती पत्नी भवाना
4. लक्ष्मण पुत्र भवाना
   दोनों जाति पूर्बिया निवासी फतहगढ तहसील सरवाड जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 24.02.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 44/2018**

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री एस0पी0औझा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 .
3. श्री मनीष खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04.
4. रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/7 एवं 03 अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांकः—13.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के न्यायालय में अप्रार्थी/अपीलांट व अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर

Scanned with CamScanner

कर अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए। उपखण्ड अधिकारी, सरवाड ने बिना अपीलांट की तामील कराए जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 का मूल प्रार्थना–पत्र अपने आदेश दिनांक 24.2.2022 द्वारा एकपक्षीय रूप से स्वीकार किए जाने का आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.2.2022 की सर्वप्रथम जानकारी राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा अपील संख्या 80/2022 में दिनांक 3.3.2023 को प्रार्थी को जारी नोटिस से दिनांक 30.3.2023 को हुई तथा प्रार्थी ने दिनांक 31.3.2023 को अपने अभिभाषक से प्रकरण की जानकारी करवाई तब अभिभाषक ने अपील संख्या 80/2022 में दिनांक 31.3.2023 को वकालतनामा पेश करने हेतु अण्डरटेंकिंग लेकन पत्रावली का निरीक्षण कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 40/2018 में आपके व लक्ष्मण पुत्र भवाना पूर्बिया के खसरा नम्बरों में अप्रार्थी संख्या 1चौथू पुत्र कल्याण जाति रेगर निवासी फतहगढ को आपको सुनवाई का अवसर दिए बगैर दिनांक 24.2.2022 को आदेश पारित किया है। उक्त अपील पेश की जा रही है। जिसे जानकारी से अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सद्भाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में बताया कि रेस्पोडेंटस के द्वारा खसरा नम्बर 72 हेतु रास्ता मांगा गया है। खसरा नम्बर 60 भी इनका है खसरा नम्बर 68 हमारी सहखातेदारी का है। खसरा नम्बर 67 हमारी खातेदारी का है। तामील प्रोपर नहीं है जवाब हमारा बंद कर दिया गया था। मौका निरीक्षण हेतु नोटिस हमें नहीं दिया गया। खसरा नम्बर 67 की मेड से खसरा नम्बर 63 तक आते है। चारागाह में मेडबंदी की हुई है। विधिक प्रावधानो एवं न्यायिक सिद्वान्तो के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में विद्यमान कदीमी रास्ता जो कि मौके पर चालू है को किसी प्रकार से अवरूद्ध कर दिया जाता है तो उसे खुलवाने के लिए पृथक से धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विधिक प्रावधान व विधिक प्रक्रिया विद्यमान करते है परन्तु उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा आदेश 06 नियम 2 सी.पी.सी. में उल्लेखित विधिक प्रावधानो के विपरीत जाकर विधि व क्षेत्राधिकार के विरूद्ध पारित किये है, जो एकपक्षीय आदेश है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता ग्राम बालापुरा के खसरा नम्बर 66, 65 की मेड़ से होता हुआ आगे खसरा नम्बर 64 व 63 से उत्तर से दक्षिण की ओर मौके पर रास्ता बना हुआ है व चालू है जो आगे सरकारी रास्ते से मिलता है। इसी चालू रास्ते से खसरा नम्बर 66, 65, 63, 64 के खातेदारों द्वारा आवागमन किया जाता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी के पास वैकल्पिक व लघुत्तम रास्ता उपलब्ध होते हुए सुविधा के लिए व अपीलांट को हैरान व परेशान करने के लिए उक्त अविधिक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



Scanned with CamScanner

जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो की पालना किए बिना, बिना अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किये जो अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को समुचित जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नवीन रूप से विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए आदेश पारित किए जाने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष प्रति प्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने–प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन मनगढ़त व झूठे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस तामील होने के बाद उनकी एक पक्षीय कार्यवाही की है, जो विधि सम्मत है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना–पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद नहीं हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस/अपील में बताया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम बालापुरा तहसील सरवाड के खाता संख्या 45 खसरा नम्बर 72 रकबा 1.11 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी है प्रार्थी की उक्त आराजी के पास खसरा नम्बर 58 अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 68 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा खसरा नम्बर 67 अप्रार्थी संख्या 4 के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में जाने का रास्ता सरकारी भूमि खसरा नम्बर 50 से होता हुआ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 58 की उत्तरी मेर व खसरा नम्बर 67 व 68 की संयुक्त मेर जो खसरा नम्बर 68 के दक्षिण में है, से होकर जाता है तथा प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से उक्त रास्ते का उपयोग कृषि कार्य हेतु करता आ रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खेत में आने जाने के रास्ते का जगह–जगह खड्डे खोदकर अवरूद्ध कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी पर आने जाने हेतु खसरा नम्बर 58,67,68 की मेर पर होकर उक्त रास्ता कायम किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जरिये नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण को कई बार मौका दिया जाने पर भी गैर हाजिर होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब बंद किया गया। तहसीलदार, सरवाड़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बालापुरा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2069–2088 में खाता संख्या 52–45 खसरा नम्बर 72 प्रार्थी चौथू पुत्र कल्याण रेगा निवासी फतेहगढ़ की खातेदारी आराजी है जिसमें जाने का रास्ता ग्राम बालापुरा के सरकार खसरा नम्बर 50 व अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 58,67, 68 से होकर जाता है जो लघुत्तम होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते बाबत् आदेश दिये है वह विधि सम्मत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर.



Scanned with CamScanner

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थित में नहीं बनायी गयी है तथा मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अंकन नहीं। इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावें।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

10. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। अतःप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

11. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 44/2018 चौथू बनाम लादू अंतर्गत 251 ए आरटी एक्ट दिनांक 13.8.2018 से दिनांक 24.2.2022 का अवलोकन किया गया। दिनांक 16.10.2019 की प्रोसिडिंग निम्नअनुसार है–पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर अप्रार्थी 1 से 4 हाजिर नहीं अप्रार्थीगण को बार बार आवाजे दिलवाई गई कोई पक्षकार हाजिर नहीं एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब अप्रार्थीगण बंद किया जाता है। वर्तमान मौका रिपोर्ट तहसीलदार सरवाड से ली जाए तहरीर पत्र जारी कर मिसल दिनांक 22.11.2019 को पेश हो। दिनांक 24.1.2020 की प्रोसिडिग के अनुसार तहसीलदार सरवाड से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। दिनांक 17.2.2020 को सरवाड तहसीलदार की रिपोर्ट पर वकील वादी/प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रकट की गई। दिनांक 14.7.2020 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 18.9.2020 को स्वीकार किया गया और तहसीलदार से पुनः रिपोर्ट मांगी गई। दिनांक 9.2.2022 को तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की। दिनांक 24.2.2022 को निर्णय सुनाया गया। दिनांक 16.10.2019 की प्रोसिडिंग की अनुपालना में दिनांक 1.11.2019 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड के द्वारा तहसीलदार सरवाड को अपीलाधीन प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत पत्र जारी किया गया था। किंतु रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने का हवाला दिया गया। उक्त मौका रिपोर्ट दोनों पक्षों की मौजूदगी में तैयार किए जाने के निर्देश थे। उक्त मौका रिपोर्ट ग्राम फतहगढ के संदर्भ में मंगवाई गई थी। तहसीलदार सरवाड द्वारा दिनांक 6.11.2019 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड को संबोधित पत्र लिखकर यह बताया कि खसरा नम्बर 72 वादी प्रतिवादी के नाम दर्ज नहीं है। बाद में संशोधन के द्वारा ग्राम फतहगढ की जगह ग्राम बालापुरा अंकित करने की स्वीकृति दी गई। दिनांक 2.2.2022 को नए सिरे से तहसीदार सरवाड द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। मौका रिपोर्ट गिरदावर एवं पटवारी द्वारा दिनांक 31.1.2022 को बनाई गई है एवं उक्त रिपोर्ट तहसील कार्यालय में

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड



Scanned with CamScanner

दिनांक 2.2.2022 को प्राप्त हुई है। उक्त मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को कोई नोटिस दिया जाना पत्रावली पर जाहिर नहीं होता है। ना ही उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा आक्षेप आमंत्रित किए गए है। उक्त अपीलाधीन आदेश तथा मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में भी कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस दिया जाना तथा मौके पर उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है तथा मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं अर्थात पक्षकारों की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के सरकारी नियम 69 की अवहेलना की है। उक्त नियम के अनुसार उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2022 में यह अंकित किया गया कि "मौका निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि चाहा गया रास्ता ग्राम फतहगढ से चांदोलाई वाली सडक में से ग्राम फतहगढ की सीमा में स्थित खसरा नम्बर 878 सरकारी में से होकर ग्राम धानमा के खसरा नम्बर 50 सरकारी व-खसरा नम्बर 58, 67 व 68 खातेदारी में से होकर प्रार्थी की आराजी तक पहुंचता है चाहे गए रास्ते की शुरूआत ग्राम फतहगढ की सीमा में स्थित सरकारी खसरा नम्बर 878 रकबा 9.22 है0 आता है। जिसका दावा प्रार्थी ने वाद पत्र में नहीं किया है। जिससे आगे का रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।" उपरोक्त कारणों से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

12. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी,सरवाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 44/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

13/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर



Scanned with CamScanner